सं०सं०–1/व०आयु० सं०–02/2012–42 (1)ब०

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक : संजय कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

प्राचार्य,
वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेज,
पावापुरी, नालन्दा।

पटना, दिनांक– 21/ 03 /2012

विषयः–वर्द्धमान इन्स्टीच्यूट ऑफ हेल्थ साईन्सेज, पावापुरी, नालन्दा को गैर योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 में वेतनादि ईकाइयों में कुल रु० 36,97,800/– (छत्तीस लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त राशि के आवंटन की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आवांटनादेश संख्या 17(1) ब0 दिनांक 25/04/2012 के क्रम में निम्नांकित शीर्ष/उप शीर्ष अन्तर्गत वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा को विपत्र कोड– N 2210051050022 के अन्तर्गत वेतनादि ईकाइयों में कुल रु० 36,97,800/– (छत्तीस लाख सन्तानवे हजार आठ सौ रूपये) मात्र अतिरिक्त राशि के आवंटन की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है: –

विषय शीर्ष	बजट में उपबंधित राशि	पूर्व में आवंटित राशि	वर्त्तमान में आवंटित राशि	अवशेष राशि
0101 वेतन	20000000	18000000	2000000	0
0103 जीवन यापन भत्ता	13400000	12060000	1340000	0
0104 मकान किराया भत्ता	3000000	2700000	300000	0
0106 चिकित्सा भत्ता	240000	216000	24000	0
0107 अन्य भत्ता	338000	304200	33800	0
योगः–	**36978000**	**33280200**	**3697800**	**0**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561/वि०(2), दि०–17.04.98, 2880/वि०(2), दि०–06.05.06, 96/वि०(2), दि०–09.01.08 सहपठित संकल्प सं० 2190/वि०(2) दि०–17.03.08, 2938/ वि०(2), दि०–08.04.08 एवं 3388/वि०(2), दि०–18.04.11 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्राचार्य, वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालन्दा होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि का वहन गैर योजना व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–105–एलोपैथी–0022–वर्द्धमान इन्स्टीचयुट ऑफ हेल्थ साईंसेज, पावापुरी, माँग संख्या 20, विपत्र कोड– N 2210051050022 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय व्ययक में उपबंधित राशि से की जायेगी।

5. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित, कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

6. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, नालन्दा (बिहारशरीफ) से की जाएगी।

7. इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन,

20.12.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांकः–1/व०आयु० सं०–02/2012–412(1)ब०/स्वा०, पटना, दिनांक–21/12/2012

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना / जिलाधिकारी, नालन्दा/ कोषागार पदाधिकारी, नालन्दा (बिहारशरीफ) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार, पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी–1/ संबंधित सहायक को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–विभागीय मंत्री के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20.12.2012

सरकार के संयुक्त सचिव।